बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

आदेश

आदेश सं०:—2प / वि0—17—17 / 2025 / 612 / पं०रा० पटना, दिनांक 14 / 08 / 2025

उप निदेशक, पंचायती राज, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक—162 दिनांक 10.05.2025 द्वारा लोक प्रहरी—सह—आयुक्त तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा वाद सं०—06 / 2024 में पारित आदेश की मूल प्रति सभी अनुलग्नक सहित विभाग को उपलब्ध करायी गयी है।

2. उक्त आदेश में लोक प्रहरी—सह—आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा श्री संजय राम, मुखिया, ग्राम पंचायत—जाफरपट्टी, प्रखंड—राजापाकर, जिला—वैशाली को बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 में निहित शक्तियों के दुरूपयोग, विभागीय निदेशों की अवहेलना, कर्त्तव्यों के निर्वहन एवं वित्तीय कार्यों में दोषी पाए जाने के कारण बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा—18(5) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए पदच्युत करने की अनुशंसा की गई है।

उल्लेखनीय है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा—18(5) के अधीन, मुखिया के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जाँच एवं सुनवाई लोक प्रहरी द्वारा किया जाना प्रावधानित है। इस प्रावधान के आलोक में सरकार द्वारा सभी प्रमंडलीय आयुक्त को अगले आदेश तक अपने—अपने जिले के लिए लोक प्रहरी घोषित किया गया है।

3. जिला पदाधिकारी, वैशाली ने पत्रांक—1671 दिनांक 19.09.2024 द्वारा श्री संजय राम, मुखिया, ग्राम पंचायत—जाफरपट्टी, प्रखंड—राजापाकर, जिला—वैशाली के विरूद्ध विभागीय निदेशों की अवहेलना, शक्तियों के दुरूपयोग आदि के संबंध में लोक प्रहरी—सह—आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुए बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा—18(5) के तहत् कार्रवाई करने की अनुशंसा की है।

4. मुखिया के विरूद्ध आरोप है कि उनके द्वारा ग्राम पंचायत में खुले जिम के अधिष्ठापन में विभागीय निदेशों की अवहेलना करते हुए अपनी शक्तियों का दुरूपयोग किया गया। उल्लेखनीय है कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में अनटाईड मद में प्राप्त राशि से ग्राम पंचायत में खुले जिम के अधिष्ठापन का निदेश विभागीय पत्रांक—27(रा०), दिनांक 13.09.2021 द्वारा संसूचित है। साथ ही विभागीय पत्रांक—10471 दिनांक 03.11.2022 द्वारा 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत् अधिष्ठापित किये जाने वाले खुले जिम से संबंधित सामग्रियों का क्रय GeM Portal से किये जाने का निदेश दिया गया है।

5. ग्राम पंचायत जाफरपट्टी के मुखिया एवं पंचायत सचिव द्वारा खुले जिम के अधिष्ठापन हेतु सामग्रियों का क्रय GeM Portal से नहीं कर स्थानीय बाजार से किया गया। साथ ही आपूर्त्तिकर्त्ता को राशि का भुगतान 15वें वित्त आयोग मद में प्राप्त राशि से नहीं कर षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त राशि से किया गया।

उल्लेखनीय है कि आपूर्त्तिकर्त्ता को कुल 08 चेकों के माध्यम से ₹**14,97,774.00** (चौदह लाख सन्तानवे हजार सात सौ चौहत्तर रूपये) का भुगतान षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त राशि से किया गया है।

यह भुगतान खुले जिम से संबंधित योजना सं०–05/22–23, 07/22–23 एवं 06/22–23, में चेक सं०–922502 दिनांक 20.12.2022, चेक सं०–922500 दिनांक 20.12.2022, सं०–922501 दिनांक 20.12.2022, चेक सं०–922504 दिनांक 28.12.2022, चेक सं०–922503 दिनांक 28.12.2022, चेक सं०–922508 दिनांक 28.12.2022, चेक सं०–922510 दिनांक 30.12.2022 एवं चेक सं०–922509 दिनांक 30.12.2022 के द्वारा किया गया है। उक्त बैंक चेकों के माध्यम से कुल ₹**14,97,774.00** (चौदह लाख सन्तानवे हजार सात सौ चौहत्तर रूपये) का भुगतान जानकी इन्टरप्राईजेज नामक सामग्री आपूर्त्तिकर्त्ता को किया गया है। जिला पदाधिकारी, वैशाली द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी, राजापाकर द्वारा जिम अधिष्ठापन स्थल का भौतिक निरीक्षण किया गया, निरीक्षण में पाया गया कि योजना स्थल पर **Open Gym** से संबंधित एक भी सामग्री नहीं लगा हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि पंचायत सचिव एवं मुखिया, श्री संजय राम द्वारा षष्टम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का दुरूपयोग करते हुए GeM Portal से सामग्री क्रय न कर स्थानीय बाजार से क्रय किया गया है। अतः यह राशि के गबन एवं दुर्विनियोग का मामला है।

6. लोक प्रहरी–सह–आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को प्रेषित जिला पदाधिकारी के पत्रांक–1671 दिनांक 19.09.2024 की कंडिका–03 मे इस आशय की जानकारी दी गई है कि ग्राम पंचायत जाफरपट्टी के तत्कालीन पंचायत सचिव, मुखिया श्री संजय राम एवं अपूर्त्तिकर्त्ता जानकी इन्टरप्राईजेज के विरूद्ध ₹**14,97,774.00** (चौदह लाख सन्तानवे हजार सात सौ चौहत्तर रूपये) की राशि के गबन के आरोप में राजापाकर थाना काण्ड प्राथमिकी सं०–52/2023 दिनांक 08.02.2023 दर्ज किया गया है। थानाध्यक्ष, राजापाकर के प्रतिवेदन दिनांक 29.11.2023 एवं मा० उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित Antiicipatory Bail आदेश दिनांक 05.03.2024 में उल्लिखित है कि श्री संजय राम, मुखिया, राजापाकर के विरूद्ध थाना काण्ड संख्या–52/2023 दर्ज होने के कारण वे अपने कर्त्तव्य से दिनांक 08.02.2023 से 05.03.2024 तक लगभग 13 माह फरार थे।

7. वित्त विभाग के पत्रांक–9230 दिनांक–27.11.2017 एवं अधिसूचना संख्या–1407 दिनांक–22.02.2018 में निहित निदेश के आलोक में जिम सामग्रियों का क्रय GeM Portal से किया जाना है, परंतु जिम सामग्रियों का क्रय स्थानीय बाजार से किया गया है, जो विभागीय निदेशों का उल्लंघन है। बिहार वित्त नियमावली के अनुसार ₹5,00,000/– से अधिक की राशि के मामले में खुली निविदा से क्रय करने का प्रावधान है। वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांकः–9230 दिनांकः 27.11.2017 की कण्डिका–ग के अनुसार "आवश्यक गुणवता, विशिष्टियों एवं आपूर्ति का ध्यान में रखते हुए ₹30,00,000/– से अधिक के लिए अनिवार्य रूप से निविदा द्वारा GeM Portal पर उपलब्ध Online Bidding एवं Online Reverse Auction का उपयोग करते हुए न्यूनतम कीमत रखने वाले आपूर्त्तिकर्त्ता से क्रय किया जाना चाहिए !

बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली–2005 के नियम 131 –"ज" के आलोक में ₹25,00,000 (पच्चीस लाख) रुपये से अधिक की सामग्री का क्रय खुला निविदा आमंत्रित कर किया जाना है, जिसका अनुपालन नहीं किया गया है एवं ₹33,00,000/– (तैंतीस लाख) से अधिक की सामग्री एक ही कोटेशन के आधार पर अत्यधिक दर पर क्रय किया गया है। क्रय की गई सामग्री की दर तुलनात्मक रूप से ऑनलाइन e-mart से बहुत ज्यादा है। बिहार वित (संशोधन) नियमावली–2005 के नियम 131– "च" के अनुसार कुल माँगों के आंकलित मूल्य के संदर्भ में आवश्यक उच्चत्तर पदाधिकारियों की स्वीकृति प्राप्त करने की अनिवार्यता से बचने हेतु वस्तुओं के लिये माँग को छोटे– छोटे टुकड़ों में बाँट कर क्रय नहीं किया जाना चाहिए था। क्रय किये गये जिम सामग्री के अभिश्रव में आपूर्ति की गयी सामग्रियों की विशिष्टियों (कम्पनी का नाम, मॉडल नम्बर, वर्ष, वजन इत्यादि) का उल्लेख नहीं है, जिससे जिम सामग्रियों की वास्तविक कीमत का आंकलन नहीं हो पा रहा है।

8. लोक प्रहरी–सह–आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा पारित आदेश में इस तथ्य का भी उल्लेख किया गया है कि ओपेन जिम से संबंधित योजनाओं का चयन दिनांक 04.01.2022 को आयोजित उस ग्राम सभा में किया गया है, जिसमें कोरम का अभाव था। कोरम के अभाव में ग्राम सभा की बैठक स्थगित कर दी जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

9. लोक प्रहरी–सह–आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा मुखिया को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। साथ ही लोक प्रहरी द्वारा पारित आदेश के आलोक में पंचायती राज विभाग के पत्रांक–8183 दिनांक 30.06.2025 एवं पत्रांक–8626 दिनांक 10.07.2025 द्वारा मुखिया, श्री संजय राम को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया। इन पत्रों के आलोक में मुखिया द्वारा दिनांक 15.07.2025 को अपना पक्ष रखा गया। उन्होंने अपना पक्ष रखा कि उन्हें नियमों/विभागीय निदेशों की जानकारी नहीं थी। मुखिया का यह पक्ष संतोषजनक नहीं है।

उल्लेखनीय है कि पंचायती राज अधिनियम, 2006 के अंतर्गत मुखिया पद के शपथ ग्रहण के पश्चात मुखिया के अधिकार एवं कर्त्तव्य पदाभिहित हो जाते हैं। मुखिया पद पर आसीन व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने अधिकार एवं कर्त्तव्य, सरकार द्वारा परिचालित नियमों एवं सामान्य वित्तीय नियमों की जानकारी रखेंगे। उनका यह कहना कि उन्हें जानकारी नहीं थी, मान्य नहीं है। ग्राम पंचायत के प्रधान होने के नाते नियमों की जानकारी नहीं रखना मुखिया की अक्षमता का परिचायक है।

10. विद्वान लोक प्रहरी की अनुशंसा एवं आरोपों की गंभीरता के आलोक में आरोपित मुखिया श्री संजय राम को बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–18(5) के अधीन आदेश निर्गत किये जाने की तिथि से ग्राम पंचायत–जाफरपट्टी, प्रखंड–राजापाकर, जिला–वैशाली को मुखिया के पद से हटाते हुए यह आदेश दिया जाता है कि श्री संजय राम आदेश निर्गत किये जाने की तिथि से पंचायत निकायों के किसी भी निर्वाचन में अगले पाँच वर्षों तक उम्मीदवार होने के पात्र नहीं होंगे।

जिला पदाधिकारी, वैशाली को आदेश दिया जाता है कि वे मुखिया के विरूद्ध नीलामपत्र वाद दायर करेंगे एवं संबंधित पंचायत सचिव के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करेंगे।

प्रस्ताव पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक : 2प/वि0–17–17/2025/10318/पं०रा० पटना दिनांक 14/08/2025
प्रतिलिपि : श्री संजय राम, मुखिया, ग्राम पंचायत–जाफरपट्टी, प्रखंड–राजापाकर, जिला–वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक : 2प/वि0–17–17/2025/10318/पं०रा० पटना दिनांक 14/08/2025
प्रतिलिपि : प्रमंडलीय आयुक्त–सह–लोक प्रहरी, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, वैशाली/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली/प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, राजापाकर, जिला–वैशाली/पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत–जाफरपट्टी, प्रखंड–राजापाकर, जिला–वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक : 2प/वि0–17–17/2025/10318/पं०रा० पटना दिनांक 14/08/2025
प्रतिलिपि : सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को जनसाधारण की जानकारी हेतु समाचार के रूप में समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक : 2प/वि0–17–17/2025/10318/पं०रा० पटना दिनांक 14/08/2025
प्रतिलिपि : माननीय मंत्री के आप्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक : 2प/वि0–17–17/2025/10318/पं०रा० पटना दिनांक 14/08/2025
प्रतिलिपि : आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट www.biharprd.bih.nic.in पर अपलोड करने हेतु अग्रसारित ।

(मनोज कुमार)
सचिव